अध्याय-१३ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

निगम द्वारा केवल शासन द्वारा प्रदत्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। वर्तमान में सरकारी सस्ते गल्ले की योजना में आवंटित १८ जिलों में खाद्यान्न वितरण का कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा अपने स्तर से कोई रियायत नहीं प्रदान की जाती है और न ही कोई अनुज्ञापत्र जारी करने का अधिकार विभाग को है। विभाग केवल सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक परिवहन/हैण्डलिंग का कार्य सम्पादित करता है। जिसमें गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को शासनादेश के अनुसार सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है जिस पर आने वाले व्यय को उ.प्र. शासन द्वारा वहन किया जाता है।